

5

पत्र सं०अपर आयु०(पुलिस)-पु०बल-कार्यमुक्त आदेश माह अक्टूबर 2022//

समयबद्ध / द्वारा ई-मेल / नोटिस बोर्ड

317

// राज्य कर

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश

(पुलिस- कैम्प)

दिनांक :: लखनऊ :: ०७ सितम्बर, 2022

:- कार्यमुक्त आदेश:-

आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के परिपत्र संख्या:443 दिनांक 13-01-2016 में दिये गये निर्देश के अनुपालन में विभाग के अलग-अलग जोनों में तैनात नीचे उल्लिखित नाम के पुलिस कर्मियों की राज्य कर विभाग में नियमानुसार (02) दो वर्ष की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित भिन्न-भिन्न तिथियों में प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के उपरान्त उनके संबंधित पुलिस विभाग के कार्यालय प्रभारी प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए कार्यमुक्त किया जाता है।

क्र० सं०	पुलिस कर्मी का नाम / पदनाम	पुलिस मुख्यालय का आदेश संख्या व दिनांक	(02) दो वर्ष प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने वाली तिथि/गहन जनपद	राज्य कर विभाग में आरक्षी की विगत/वर्तमान तैनाती जोन का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री विवेक शर्मा आरक्षी- ना०पु० P.N.O- 112192802	डी जी -चार -स्था०-294- 2019/480 दि०-09-08-2019	04-10-2020 (दो वर्ष) फतेहपुर	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०) राज्य कर, वाराणसी
2	श्री गौरव नारंग आरक्षी- ना०पु० P.N.O- 112614616	डी जी -चार -स्था०-294- 2019/480 दि०-09-08-2019	06-10-2020 (दो वर्ष) मुजफ्फरनगर	अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि० अनु०शा०) राज्य कर, मुरादाबाद

कृपया संबंधित जोनल अपर आयुक्त, ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०) राज्य कर उक्त कालम-4 में माह अक्टूबर-2022 में प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण करने वाले संबंधित पुलिस कर्मियों को समय से कार्यमुक्त करते हुए कार्यालय प्रभारी प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ, मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ हेतु अपने जोन से खाना करना सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्यवाही की सूचना से अधोहस्ताक्षरी / सर्वसंबंधित को भी अवगत करायेगे। कार्यमुक्ति दिवस के पश्चात यदि कार्य लिया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। माह अक्टूबर -2022 अथवा इससे पूर्व माहों में यदि आपके जोन से कोई पुलिस कर्मी प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण होने के उपरान्त प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ के लिए कार्यमुक्त होने से वंचित रह गया है तो आपका यह दायित्व होगा कि आप उस पुलिस कर्मी को चिन्हित / कार्यमुक्त करते हुए उसके नाम / पदनाम / पी०एन०ओ० नम्बर की सूचना से तत्काल अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये।

प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ के लिए कार्यमुक्त हो चुके संबंधित पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिका /जी०पी०एफ०पास बुक / एल०पी०सी०/ अन्य सेवा सम्बंधी अभिलेखों को अद्यावधिक कराकर सीधे उनके संबंधित (नवीन तैनाती स्थान) के वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेगे।

उपरोक्त पुलिस कर्मियों में से जो आपके जोन से सम्बंधित नहीं है तथा अन्य जोन में तैनात है, के सम्बंधित तैनाती स्थान के जोनल अपर आयुक्त, ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०) राज्य कर का यह दायित्व होगा कि वह सम्बंधित पुलिस कर्मियों को मुख्यालय द्वारा निर्धारित तिथि से ही कार्यमुक्त करते हुए सर्वसम्बंधित सहित अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेगे।

(प्रकाश स्वरूप पाण्डेय)

आई० पी० एस०,

अपर आयुक्त (पुलिस) राज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

श्री. विवेक शर्मा
D.C.O. (I.T.)
07/09/2022
2425

पृष्ठांकन पत्रांक व दिनांक: उक्त ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी राज्य कर मुख्यालय लखनऊ को आयुक्त महोदया के अवलोकनार्थ ।
 - 2- अपर पुलिस महानिदेशक(स्थापना) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ ।
 - 3- पुलिस उपमहानिरीक्षक (कार्मिक) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
 - 4- अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०) राज्य कर, वाराणसी / मुरादाबाद ।
 - 5- अपर पुलिस अधीक्षक (स्थापना) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
 - 6- वरिष्ठ /पुलिस अधीक्षक जनपद- फतेहपुर / मुजफ्फरनगर ।
 - 7- प्रभारी-प्रतिनियुक्ति प्रकोष्ठ मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 8- ✓ संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेवसाइड पर अपलोड कराने हेतु ।

पुलिस

अपर आयुक्त (पुलिस) राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

आई. टी. ०